

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(05)शिक्षा-2/2023-00796 दिनांक-05.05.2023 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा विभाग के निम्नलिखित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144"क" के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 05 में अंकित स्थानों पर किये जाने की अनुमति की पालना में कार्मिकों को कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	कार्मिक का नाम व पद (सर्व श्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति हेतु पद	प्रतिनियुक्ति हेतु आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
01	राधेश्याम कुमावत, प्रधानाचार्य	Cheif Block Education Officer, Block- KEKRI, District- AJMER	प्रधानाचार्य	केकडी, अजमेर
02	रामवतार मीना, प्रधानाचार्य	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEKWA (217958) (08100602401)	प्रधानाचार्य	मकसुदनपुरा, सवाई माधोपुर
03	डॉ. नरेन्द्र सिंह चारण, प्रधानाचार्य	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ARASANA (213829)	प्रधानाचार्य	कोलर, शिवगंज, सिरौही

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 25.05.2023

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/बी-4/राईस/2015

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा मंत्री, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित कार्मिक।
9. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. प्रभारी बी-1/II, ए-2, ए-3, ए-4
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर